''स्मार्ट'' के माध्यम से सात सेवाओं का तीन लाख लोगों को लाभ मिला- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की 10 प्रमुख योजनाओं को ''स्मार्ट'' प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए

जयपुर, 10 अक्टूबर। राजस्थान में आमजन को विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं को सुगम, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्थाओं को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राज्य में स्मार्ट परियोजना (सर्विस मैनेजमेंट विद आर्टिफिशल इंटेलिजेंस एंड रियल टाइम सिस्टम) की शुरूआत की गई है, जिससे लाखों व्यक्तियों को लाभ मिला है।

स्मार्ट परियोजना में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग (एआई/एमएल) की सहायता से सार्वजनिक सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाने का तरीका बेहतर बनाया जा रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें स्वचालित रूप से संबंधित योजनाओं में जोड़ना और मानवीय हस्तक्षेप को कम करके लाभों का पारदर्शी वितरण करना है।

मुख्यमंत्री द्वारा 1 जुलाई को जयपुर में आयोजित 29वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन में स्वचालित नागरिक सेवा प्रदायगी मंच 'स्मार्ट' परियोजना का शुभारंभ किया जा चुका है। इसके अंतर्गत आरम्भ की गई 7 सेवाओं से 3 लाख से अधिक नागरिक लाभान्वित हो चुके हैं। वहीं, मुख्यमंत्री ने राज उन्नति की 9वीं बैठक में स्मार्ट परियोजना के तहत विभिन्न विभागों की 10 प्रमुख योजनाओं को भी स्मार्ट प्लेटफॉर्म पर लाने के निर्देश दिए हैं। ये सेवाएं भी आमजन को जल्द सुलभ होंगी।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

- **मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि ''स्मार्ट परियोजना'' का मुख्य उद्देश्य, पात्र लाभार्थियों की पहचान या उन्हें स्वचलित रूप से संबंधित योजनाओं में जोड़ना व मानवीय हस्तक्षेप कम करना है।**

इसी प्रकार मुख्यमंत्री ने 2 अक्टूबर को राज्य स्तरीय विकसित भारत-जन सेवा अभियान कार्यक्रम में मूल निवास प्रमाण-पत्र के स्वत: जारी होने की सेवा का शुभारम्भ किया था। इससे पात्र नागरिकों को मूल निवास प्रमाण-पत्र के लिए न तो आवेदन करना होगा और न ही किसी कार्यालय के चक्कर लगाने होंगे। प्रथम चरण में स्कूल शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड के आधार पर राजस्थान में लगातार 10 वर्षों तक अध्ययन करने वाले लगभग 3 लाख विद्यार्थियों को चिन्हित किया गया है। इन विद्यार्थियों को सहमति के आधार पर मूल निवास प्रमाण-पत्र स्वत: जारी किए जा रहे हैं। 9 अक्टूबर तक 27 हजार से अधिक नागरिक इस सुविधा से लाभान्वित हो चुके हैं।

वर्तमान में स्मार्ट परियोजना ई-गवर्नेंस की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसमें जन आधार परिवार कार्ड में नवजात सदस्य को स्वत: जोड़ना, सदस्य की मृत्यु होने पर जन आधार परिवार कार्ड से स्वत: विलोपन, नवजात सदस्य का आरजीएचएस परिवार कार्ड में स्वचालित रूप से जुड़ना, मृत्यु होने पर आरजीएचएस परिवार कार्ड में सदस्य का स्वत: विलोपन, नवजात सदस्य का राशन कार्ड में स्वचालित रूप से जुड़ना एवं सदस्य की मृत्यु होने पर राशन कार्ड से स्वत: विलोपन जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

बारामूला के जंगल में हथियारों व गोला बारूद का जखीरा बरामद

श्रीनगर, 10 अक्टूबर। जम्मू-कश्मीर के बारामूला के एक जंगल से हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सोपोर पुलिस से मिली खास खुफिया जानकारी के आधार पर, उत्तरी कश्मीर जिले के सोपोर इलाके में मुकाम चेरहार के जंगल में घेराबंदी और तलाशी अभियान (सीएएसओ) चलाया गया। उन्होंने कहा कि तलाशी के दौरान हथियार, गोला-बारूद, ग्रेनेड, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) और अन्य संबंधित सामग्री का एक बड़ा जखीरा बरामद हुआ। उन्होंने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान, एक बड़े पत्थर के नीचे छिपाकर रखा गया एक नीला बैरल और एक बैग मिला।

पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि संदिग्ध विस्फोटक सामग्री की जांच और उसे सुरक्षित रूप से संभालने के लिए तुरंत बम निरोधक दस्ते (बीडीएस) को मौके पर बुलाया गया।

सीजेपी आज ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अत्याचार कर रही है। हमारा सवाल है कि उन्हें फ्लाइट से क्यों हिरासत में लिया गया? वो सामान्य तरह से फ्लाइट से दिल्ली आए थे। कोई भी फ्लाइट से आ सकता है। अगर वो किसी भी तरह का उल्लंघन करते, सड़क पर आकर प्रदर्शन करते, तो उनको हिरासत में ले सकते थे।

सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में लिए 60 वकीलों को रिहा कराया

इन वकीलों को सुप्रीम कोर्ट परिसर के पास प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार किया गया था

- जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर। दिल्ली में शनिवार को सुप्रीम कोर्ट परिसर के पास प्रदर्शन कर रहे करीब 50 से 60 वकीलों को हिरासत में लिया गया। इनमें वरिष्ठ वकील और महिला वकील भी शामिल थीं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश के हस्तक्षेप के बाद, कुछ घंटों में उन्हें रिहा कर दिया गया। जंतर- मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेआई) के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले, दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी, इसी दौरान ये गिरफ्तारियाँ हुईं।

- **सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिख कर वकीलों को हिरासत में लेने के मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था।**

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने हिरासत में लिए गए वकीलों के मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा, इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने अधिकारियों को हिरासत में लिए गए वकीलों को रिहा करने का निर्देश दिया।

''सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन'' के अध्यक्ष, एडवोकेट देवव्रत ने भी पुष्टि की कि मुख्य न्यायाधीश ने अधिकारियों को वकीलों को रिहा करने का निर्देश दिया था।

एससीबीए के अध्यक्ष प्रदीप राय ने सुबह करीब 11:30 बजे सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट के जरिए यह मुद्दा उठाया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को उनके चैंबर से हिरासत में लिए जाने की खबर को ''बेहद चिंताजनक'' बताया।

'जन्तर-मन्तर सब जगह प्रस्फुटित ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की परीक्षाओं में हुईं कथित गड़बड़ियों, लखनऊ विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस बढ़ाने और सीटें कम किये जाने के विरोध में प्रदर्शन हुए। सरकारी स्कूलों में खराब सुविधाओं को लेकर कई जिलों में सड़कें रोकी गईं और छात्रावासों में विरोध प्रदर्शन हुए। शिक्षकों की भर्ती में देरी के खिलाफ भी नाराज़गी देखने को मिली। इसके अलावा, रोजगार की मांग को लेकर जैन ज़ी के युवाओं ने चौरी-चौरा से लखनऊ तक साइकिल यात्रा निकाली। प्रयागराज और अन्य जगहों पर स्थानीय प्रदर्शनों में एसआईआर प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयुक्त को भी निशाना बनाया गया। इन प्रदर्शनों में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया जैसे छात्र संगठनों ने भी हिस्सा लिया।

राजनीतिक दलों में युवाओं का समर्थन हासिल करने के लिये जबरदस्त होड़ लगी हुई है। योगी आदित्यनाथ सरकार एक लाख से अधिक शिक्षण संस्थानों में बड़े स्तर पर संपर्क अभियान चला रही है। इसमें देश के विकास से जुड़े विषयों पर प्रतियोगिताएँ आयोजित की जा रही हैं। साथ ही, सरकार नौकरियों में नियुक्तियों और कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं को भी प्रमुखता से सामने रख रही है।

समाजवादी पार्टी ''छात्र सभा'' और अन्य छात्र संगठनों, पीडीए गठबंधन तथा डिजिटल अभियानों के माध्यम से जैन ज़ी के युवाओं तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस युवाओं से सीधे बातचीत करने और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की तैयारियों पर ध्यान दे रही है। छोटे राजनीतिक दल और निर्दलीय उम्मीदवार भी रोजगार और शिक्षा से जुड़ी समस्याओं को उठाकर युवाओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं।

वहीं, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने युवाओं से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों की साज़िशों से दूर रहने की अपील की है। उनका कहना है कि ये दोनों दल युवाओं के मुद्दों का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।

सीजेपी के नेताओं ने चेतावनी दी है कि दिल्ली में हुई कार्रवाही और लखनऊ सहित, दूसरे शहरों में पहले आयोजित समर्थन कार्यक्रमों के बाद शुरु हुआ यह आंदोलन देशभर में फैल सकता है। आंदोलन के नेताओं ने संकेत दिया है कि वे विभिन्न शहरों में प्रदर्शन जारी रखेंगे और चुनावी सुधारों तथा व्यवस्था में बदलाव से जुड़ी मांगें पूरी होने तक दबाव बनाए रखेंगे। उत्तर प्रदेश में पहले से मौजूद स्थानीय संगठनों और परीक्षाओं तथा रोजगार से जुड़े विरोध प्रदर्शनों के इतिहास को देखते हुए, इस आंदोलन के वहाँ भी फैलने की प्रबल संभावना है।

मुथूट कंपनी से गायब ढाई किलो सोने के मामले में निर्णय

जयपुर, 10 अक्टूबर। न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-14 महानगर द्वितीय ने साल 2009 में मुथूट फाइनेंस कंपनी से गायब हुए ढ ाई किलोग्राम सोने से जुड़े मामले में तत्कालीन शाखा प्रबंधक विजय बी. पुरोहित व एक अन्य अनिकेत को बरी कर दिया है। पीठासीन अधिकारी आयुषी गोयल ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ लगाए आरोपों को साबित करने में विफल रहा है। ऐसे में बिना सबूत आरोपियों को दोषमुक्त करना सही होगा।

- **तत्कालीन मैनेजर को बरी करते हुए अदालत ने कहा कि 2009 के मामले में अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा।**

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि मुथूट फाइनेंस के क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के प्रबंधक अंबिका प्रसाद ने 20 मार्च 2009 को विद्याधर नगर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि ब्रांच की ऑडिट के दौरान 15 गोल्ड पैकेट स्ट्रांग रूम में नहीं मिले। इन गोल्ड पैकेटों के बदले में कंपनी ने 20.57 लाख रुपए की लोन राशि दी है। मामले में आरोप था कि तत्कालीन ब्रांच मैनेजर विजय पुरोहित ने पैकेटों को अपने कब्जे में लेने के बाद कथित तौर पर उनका गबन किया तथा अनिकेत के साथ मिलकर साजिश रची। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विपिन अग्रवाल ने कहा कि केवल नकदी और पासबुक की बरामदगी के आधार पर आरोपियों का अपराध में शामिल होना साबित नहीं होता।

124 आई.ए.एस. और आई.एफ.एस. ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बनाई गई थी, उसी पर सवाल उठ सकते हैं।

मौजूदा विवाद के बड़े पैमाने को देखते हुए ये चिंताएं और भी अहम हो जाती हैं। विपक्षी दलों और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी पर सवाल उठाए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। इससे प्रक्रिया और मतदाता की योग्यता से जुड़े सवाल और अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं।

इसलिए मुख्य सवाल यह नहीं है कि मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण होना चाहिए या नहीं। सूचियों को सही ढंग से बनाए रखना जरूरी है। असली सवाल यह है कि यह प्रक्रिया कितनी पारदर्शिता और समान नियमों के साथ पूरी की जाती है और क्या इसमें पात्र मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटने से रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद हैं।

पूर्व अधिकारियों की इस पहल ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील बहस में प्रशासनिक अनुभव और संस्थागत व्यवस्था से जुड़े पहलुओं को भी शामिल कर दिया है। सबूतों पर जोर देने की उनकी बात सही है: धोखाधड़ी के आरोपों की सख्ती से जाँच होनी चाहिए और बिना सबूत वाले दावों को अपने आप सच नहीं मान लेना चाहिए।

हालाँकि, पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों की साख और पत्र का समर्थन करने वालों की संख्या अपने आप यह साबित नहीं करती कि विशेष गहन पुनरीक्षण की हर प्रक्रिया सही तरीके से पूरी की गई है। इसी तरह, विपक्षी दलों के आरोप भी अपने आप यह साबित नहीं करते कि चुनावों में व्यवस्थित रूप से हेराफेरी हुई है।

विश्वसनीय आकलन के लिए संबंधित चुनावी आंकड़ों तक पहुँच, नाम हटाने के कारणों की स्पष्ट जानकारी, गलतियों को सुधारने की प्रभावी व्यवस्था और जरूरत पड़ने पर स्वतंत्र जाँच जरूरी है। जिन नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, उन्हें अपनी पात्रता साबित करने और अपना नाम दोबारा जुड़वाने का उचित अवसर मिलना चाहिए।

लोकतंत्र का बड़ा सिद्धांत यह है कि संस्था की साख की रक्षा जिम्मेदारी से की गई आलोचना और साबित की जा सकने वाली जवाबदेही, दोनों से होनी चाहिए। राजनीतिक आरोपों के आधार पर चुनाव आयोग को दोषी नहीं मान लेना चाहिए। लेकिन केवल संवैधानिक संस्था होने के कारण उसे जाँच और सवालों से छूट भी नहीं मिलनी चाहिए।

अंतिम कसौटी स्पष्ट है: क्या योग्य नागरिक बिना किसी रुकावट के मतदान कर सकते हैं? क्या कानूनी प्रक्रियाओं के जरिए अपात्र नामों को हटाया जा सकता है? और क्या जनता यह जाँच सकती है कि इन दोनों उद्देश्यों को पूरा किया जा रहा है? यही वह पैमाना है, जिसके आधार पर एसआईआर और उससे जुड़े अलग-अलग दावों को परखा जाना चाहिए।

नाबालिग से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अभियुक्त उसे अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान, पीड़िता ने घटना को दोहराया, वहीं अभियुक्त ने कहा कि उसे रंजिशवश फंसाया गया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

रियाद एयरपोर्ट बंद, मिसाइल हवाई अड्डे के यात्री टर्मिनल से टकराई

काहिरा, 10 अक्टूबर। सऊदी अरब की राजधानी रियाद स्थित हवाई अड्डे पर शनिवार को फिर हमला हुआ और उसे खाली करा लिया गया। क्षेत्र के दो अधिकारियों ने यह जानकारी दी। वहीं, दो दिन पहले हुए हमले में एक पायलट समेत तीन सऊदी नागरिकों की मौत हो गई थी। ईरान युद्ध के नए मोर्चे पर सऊदी अरब को लगातार हमलों का सामना करना पड़ रहा है।

एक अधिकारी ने बताया कि मिसाइल हवाई अड्डे के यात्री टर्मिनल से टकराई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं होने के कारण नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर जानकारी दी। एंबुलेंस को तेजी से हवाई अड्डे की ओर जाते देखा गया। उड़ानों पर नजर रखने वाली वेबसाइट फ्लाइटरडार24 के मुताबिक, रियाद जाने वाली उड़ानों को दूसरे हवाई अड्डों की ओर मोड़ दिया गया। इससे पहले दोपहर 2:05 बजे आखिरी उड़ान के उतरने के करीब चार घंटे बाद यह जानकारी सामने आई।

- **कुवैत एयरवेज ने अपनी उड़ानें बंद की, रियाद जाने वाली उड़ानों को दूसरे हवाई अड्डों की ओर मोडा।**

कुवैत एयरवेज ने बताया कि हवाई अड्डा बंद होने के कारण वह अपनी उड़ानें रद्द कर रही है। कनाडा के दूतावास ने अपने नागरिकों को हवाई अड्डे की यात्रा से बचने की सलाह दी और क्षेत्र में ''लगातार जारी सैन्य गतिविधियों'' का हवाला दिया। रियाद के निवासी अहमद सैयद ने बताया कि उन्होंने राजधानी में कम से कम दो जोरदार धमाकों की आवाज सुनी। धमाकों से शहर में कंपन महसूस हुआ। हवाई अड्डा प्रशासन ने यात्रियों के लिए संक्षिप्त अलर्ट जारी किया।

मुख्य चुनाव आयुक्त का हटना ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पिनराई विजयन भी उन प्रमुख राजनीतिक नेताओं में शामिल थे, जिन्हें आंदोलन में शामिल होने या उसका समर्थन करने की कोशिश के दौरान हिरासत में ले लिया गया। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं, डैरेक ओ'ब्रायन और डोला सेन को भी हिरासत में लिया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के वरिष्ठ नेताओं, जिनमें महासचिव एम. ए. बेबी, बृंदा करात और जॉन ब्रिटास शामिल हैं, को भी हिरासत में लिया गया। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को भी चंडीगढ़ में हिरासत में लिए जाने की खबर आई। अनेक जगहों पर कार्यकर्ताओं, वकीलों और छात्र नेताओं के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की गई।

इन हिरासतों ने आंदोलन को और अधिक राजनीतिक रूप दे दिया है। विपक्षी नेताओं ने प्रशासन पर विरोध की आवाज को दबाने का आरोप लगाया, जबकि सरकार और पुलिस ने सार्वजनिक व्यवस्था तथा सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के आधार पर पाबंदियों को सही ठहराया। तमिलनाडु के नेता एम. के. स्टालिन ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना की और हिरासत में लिए गए राजनीतिक नेताओं, छात्रों तथा युवा प्रदर्शनकारियों को रिहा करने की मांग की। उन्होंने इसकी तुलना आपातकाल से की। इन विरोधी दावों ने प्रदर्शन से निपटने के सरकार के तरीके पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, पुलिस की प्रत्येक कार्रवाई की वैधता की जांच हर हिरासत के खास हालात के आधार पर की जानी चाहिए।

इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इन्टेन्सिव रिविजन-एसआईआर) है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पात्र मतदाताओं के नाम गलत तरीके से सूची से हटाए गए हैं और इस प्रक्रिया से चुनाव की निष्पक्षता को खतरा हो सकता है। चुनाव आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची में डुप्लीकेट और अपात्र नामों की पहचान करना तथा सूची को अधिक सटीक बनाना है। मुख्य सवाल यह है कि क्या इन आरोपों की पुष्टि, नाम हटाए जाने के प्रामाणिक आंकड़ों, गलत तरीके से नाम काटे जाने के व्यक्तिगत मामलों, पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा जोड़ने और चुनाव अधिकारियों के पारदर्शी स्पष्टीकरण के माध्यम से की जा सकती है।

युवाओं के नेतृत्व वाले मंच के रूप में सीजेपी के उभरने से ऐसे कई समूह एक साथ आ गये हैं, जो कभी किसी एक राजनीतिक बैनर के नीचे काम नहीं करते। छात्र संगठनों, वामपंथ से जुड़े समूहों, ऐक्टिविस्टों और विपक्षी दलों ने इस अभियान में हिस्सा लिया है या इसका समर्थन किया है। स्थापित राजनीतिक नेताओं की भागीदारी ने इस आंदोलन को उसके शुरुआती समर्थक वर्ग से आगे तक पहुँचा दिया है।

अब सवाल यह है कि बढ़ती राजनैतिक भागीदारी आंदोलन को मजबूत करेगी या उसकी स्वतंत्र पहचान को कमजोर कर देगी। यदि आंदोलन व्यापक गठबंधन बनाए रखता है और प्रमाणों पर आधारित चुनावी सुधारों पर ध्यान केन्द्रित करता है, तो वह एक प्रदर्शन के बाद भी दबाव बनाए रख सकता है। लेकिन यदि उसकी पहचान मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ विपक्ष के टकराव तक सीमित हो जाती है, तो, परंपरागत दलीय राजनीति पर संदेह करने वाले युवाओं के बीच, उसकी लोकप्रियता प्रभावित हो सकती है। वर्ष 2027 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़े राजनीतिक दांव-पेच को और बढ़ा सकते हैं।

क्या ये विरोध प्रदर्शन ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर सकते हैं? आंदोलन का बढ़ता दायरा और बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासत में लिया जाना राजनीतिक दबाव तो बढ़ा सकता है, लेकिन इससे किसी संवैधानिक पदाधिकारी को अपने पद से हटने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के खिलाफ सुरक्षा मिली हुई है और उन्हें केवल उसी तरीके और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जिन आधारों और प्रक्रिया के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रक्रिया पूरी करनी होती है। कुमार स्वेच्छा से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं है कि उन्होंने यह कदम उठाने का फैसला किया है।

तत्काल चुनौती यह है कि क्या इस टकराव से कोई ठोस संस्थागत नतीजा निकलता है। मतदाता सूची से हटाए गए नामों की पारदर्शी जानकारी देना, शिकायतों का प्रभावी समाधान करना, पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा जोड़ना और विवादित मामलों की स्वतंत्र जाँच कराना प्रदर्शनकारियों के आरोपों की विश्वसनीयता स्थापित करने में मदद करेगा। न्यायिक फैसले या संसद की विधिवत कार्रवाई भी इस विवाद की दिशा बदल सकती है।

शनिवार को बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासत में लिए जाने से शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने का अधिकार भी एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। पुलिस की भारी तैनाती और लोगों की आवाजाही पर लगी पाबंदियों के कारण यह आलोचना प्रबल हुई है कि प्रशासन विरोध की आवाज़ को सीमित कर रहा है। वहीं, पुलिस सुरक्षा, नियमों और यातायात व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं का हवाला दे रही है। इन कदमों की आवश्यकता और उनकी मात्रा को लेकर बहस आगे भी जारी रहने की संभावना है।

कुल मिलाकर, अंतत:, दिल्ली में हुए इस आंदोलन का महत्व इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या यह जनता के गुस्से को चुनावी प्रक्रिया में प्रमाणित सुधार, संस्थागत जवाबदेही और लंबे समय तक इस प्रकार की नागरिक भागीदारी में बदल सकता है। ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा फिलहाल एक मांग है, कोई सुनिश्चित नतीजा नहीं। बड़ी चुनौती यह है कि क्या अब प्रमुख राजनीतिक नेताओं के समर्थन वाला यह युवा आंदोलन, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली की सार्थक जाँच सुनिश्चित कर सकता है और चुनावी प्रक्रिया में जनता का भरोसा मजबूत कर सकता है।

लोक अदालत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

थे। जस्टिस गोयल ने लोक अदालत में उपस्थित पक्षकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कई पक्षकारों के बीच ऐसे सिविल व छोटे आपराधिक प्रकृति के मुकदमे होते हैं, जिन्हें आपसी राजीनामे से सुलझाया जा सकता है। लोक अदालत के माध्यम से ऐसे प्रकरणों को तय किया जाता है। इससे पक्षकार का समय और धन दोनों बचता है।

वहीं प्रकरण का अंतिम निस्तारण होने से उसकी अपील भी नहीं होती है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम शर्मा अत्री ने बताया कि लोक अदालत में राजीनामा हो सकने वाले आपराधिक प्रकरणों के साथ ही चैक अनादरण, धन वसूली, बिजली-पानी और तलाक को छोड़कर, अन्य पारिवारिक प्रकरणों से जुड़े मुकदमों को सूचीबद्ध किया गया था।

प्रकरणों के निस्तारण के लिए हाईकोर्ट में चार बेंच और प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में 499 बेंचों का गठन किया गया था।

लगभग एक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की आवाज़ दबाने के लिए केवल बल प्रयोग किया जाता है।

यह तरीका ज्यादा दिन नहीं चल सकता।

इसके विकल्प के रूप में छात्र आईएनए की दिल्ली हाट में और सफदरजंग फ्लाईओवर पर बैठ गए। पुलिस के वहाँ पहुँचने और सड़कें बंद करने की कार्रवाई शुरू करने से पहले ही छात्र वहाँ जमा हो गए थे।

आशंका है कि यदि आज देर रात सड़कें खोल दी गईं, तो छात्र रात में फिर से इकट्ठा हो जाएंगे और वहीं बैठे रहेंगे।

सुप्रीम कोर्ट कल रविवार को विशेष याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं में मेट्रो सेवा बंद किए जाने, सीजेपी के हजारों समर्थकों को हिरासत में लेने और भारी संख्या में तैनात पुलिस बल द्वारा की गई हिंसा से जुड़े मामले शामिल हैं।

राजनाथ सिंह ने प्रसिद्ध सारंग हैलीकॉप्टर की एरोबैटिक टीम के हैरतअंगेज़ करतब देखे

रक्षा मंत्री ने जोधपुर में बहुराष्ट्रीय वायु सेना अभ्यास में मित्र राष्ट्रों के वायु सेना अधिकारियों से मुलाकात की

जोधपुर, 10 अक्टूबर (कासं)। जोधपुर की धरा एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय सैन्य शक्ति का गवाह बनी है, जहां शनिवार को केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशेष दौरे पर जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे। एयरबेस पहुंचने पर भारतीय वायुसेना के शीर्ष अधिकारियों ने केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की औपचारिक अगवानी की और स्वागत किया। रक्षा मंत्री ने यहां आयोजित बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास ''तरंग शक्ति-2026'' के मुख्य कार्यक्रम में शिरकत की और युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहीं विभिन्न मित्र राष्ट्रों की वायुसेनाओं के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। निर्धारित कार्यक्रम के समापन के बाद रक्षा मंत्री दोपहर बाद, जोधपुर एयरपोर्ट से विशेष विमान द्वारा वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए।

जानकारी के अनुसार, जोधपुर एयरबेस पर 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित हो रहे इस विशाल युद्धाभ्यास में दुनियाभर के 8 देशों की वायुसेनाएं एक साथ मिलकर अपनी हवाई मारक क्षमता और युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रही हैं। इसके साथ ही, विश्व के 32 से अधिक देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधि इस अभ्यास के पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए हैं।

वहीं, ''तरंग शक्ति-2026'' युद्धाभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सारंग हेलीकॉप्टर एरोबैटिक टीम ने आसमान में सांसें थमा देने वाले हैरतअंगेज करतब दिखाए। सारंग टीम के पायलटों की सटीकता और कौशल को देखकर वहां मौजूद देश-विदेश के सैन्य प्रतिनिधि और दर्शक दंग रह गए।

- **जोधपुर में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास का मुख्य उद्देश्य विभिन्न रक्षा संस्कृतियों के बीच आपसी तालमेल बढ़ाना, संयुक्त अभ्यास की क्षमता विकसित करना तथा आधुनिक हवाई युद्ध की रणनीतियों का आदान-प्रदान करना है।**

लड़ाकू विमानों की गर्जना और हेलीकॉप्टरों के जटिल फॉर्मेशन ने पूरे जोधपुर एयरबेस के माहौल को देशभक्ति और सैन्य शक्ति के रोमांच से भर दिया। रक्षा मंत्री ने सारंग टीम के प्रदर्शन की सराहना की और विदेशी प्रतिनिधियों के सामने भारतीय वायुसेना के इस गौरवशाली प्रदर्शन को भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता का बड़ा प्रमाण बताया।

अभिजीत दीपके ने आंदोलन की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में दाखिल हुए और तीनों को हिरासत में ले लिया। महाराष्ट्र के रहने वाले अजिंक्य शिंदे कई वर्षों से अभिजीत दिपके के करीबी सहयोगी रहे हैं। वे पहले आम आदमी पार्टी की महाराष्ट्र टीम में सोशल मीडिया समन्वयक के रूप में काम कर चुके हैं। बताया जाता है कि दीपके से उनकी पहली मुलाकात 2016 में गोवा में हुई थी।

शिंदे ने आम आदमी पार्टी के लिए पूरे समय काम करने के उद्देश्य से अपनी कॉरपोरेट नौकरी छोड़ दी थी। पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने एक साल गोवा विधानसभा चुनावों के लिए काम किया। हालाँकि, गोवा विधानसभा चुनावों में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई, फिर भी अजिंक्य पार्टी के प्रति समर्पित रहे और महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी की टीम के साथ काम करने लगे।

बताया जाता है कि वे महाराष्ट्र के हर जिले का दौरा कर चुके हैं। अजिंक्य महाराष्ट्र के तटीय शहर अलीबाग के रहने वाले हैं। दिपके, दास और रांका के अलावा, शनिवार सुबह प्रदर्शन से पहले ही सीजेपी के कई नेताओं और प्रदर्शनकारियों को भी हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी को प्रदर्शन के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था। पुलिस का कहना था कि अनुमति के लिए पर्याप्त समय पहले आवेदन नहीं किया गया था।

इससे पहले, शनिवार सुबह यूट्यूबर ध्रुव राठी को भी दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम स्थित उनके घर से हिरासत में ले लिया। नरेन्द्र मोदी सरकार के मुखर आलोचक राठी इसी सप्ताह जर्मनी से भारत लौटे थे। उन्होंने 8 अक्टूबर को बेंगलुरु में हुए सीजेपी के प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया था।

जंतर-मंतर के आसपास नाटकीय दृश्य देखने को मिले, जब पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शन स्थल तक पहुँचने की कोशिश कर रहे लोगों को हिरासत में लेना शुरू किया।

हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को पुलिस बसों में भरकर राजधानी के छत्रसाल स्टेडियम ले गई।

पुलिस ने शनिवार से पहले की रात राजधानी के अलग-अलग इलाकों में चलाए गए अभियान के दौरान, कम से कम 400 प्रदर्शनकारियों को भी गिरफ्तार किया।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फै